## भारत निर्वाचन आयोग

## **ELECTION COMMISSION OF INDIA**

TEL: 011-23052246

Fax 011-23052001

Website: www.eci.gov.in

464/INST/2019/EPS

निर्वाचन सदन अशोक रोड, नई दिस्ती–110001

Nirvachan Sadan,

Ashoka Road, New Delhi-110001.

Dated: 17th April, 2019

Τo

The Chief Electoral Officer,

Gujarat,

Gandhinagar.

Subject:

General Election to Lok Sabha, 2019 - Declaring Public Holiday on the

next day of poll - regarding.

Sir.

With reference to your letter No. ELC-1019-1743-CHH, dated 06.04.2019 and Commission's instruction vide letter No. 576/11/94/JS.II dated 15.111994 on the subject cited, I am directed to state that the Commission has agreed to your proposal to instruct all District Election Officer to consider the polling staff as "on duty" on the next day of poll day and the next day of re-poll (if any) and they are not required to remain present in their respective offices on the day after the poll day, keeping in view their considerably long tiring duty hours on poll day.

Yours faithfully.

(Jaydeb Lahiri) Secretary फोन: 011-23052246

फैक्स 011-23052001

देवसाइट: www.eci.gov.in

464 / आईएनएसटी / 2019 / ईपीएम

अशोक रोड, नई दिल्ली-110001। निर्वाचन सदन,

निर्वाचन क्षेत्र

अशोक रोड, मर्द दिल्ली-११०००१।

दिनांक: 17 अप्रैल, 2019

u£1

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,

मुजरात, गांधीनगर।

विषय:

लोकसभा के आम चुनाव, 2019 - मतदान के अगले दिन सार्वजनिक अवकाश

घोषित करने के सबंध में।

आपके पत्र क्रमांक ELC-1019-1743-CHH, दिनांक 06.04.2019 और आयोग के निर्देश पत्र संख्या 576/11/94/JSI दिनांक 15.111994 के संदर्भ में उद्धृत विषय पर, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग मतदान के अगले दिन और पुनर्मतदान के अगले दिन (यदि कोई हो) मतदान कर्मवारियों को "ड्यूटी पर" मानने के लिए सभी जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देश देने के आपके प्रस्ताव पर सहमत हो गया है और उन्हें अपने कार्यालय में उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं है मतदान के दिन के बाद के दिन संबंधित कार्यालयों, मतदान के दिन उनके काफी लंबे समय तक काम करने वाले घंटों को ध्यान में रखते हुए।

आपका विश्वासी